



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 298/17

निर्णय दिनांक: 1-12-2017

1. मामराम पुत्र चन्द्रमराम जाति मेधवाल निवासी ~~सोमवास~~  
तहसील ~~सोमवास~~ जिला बीकानेर।

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 05-09-2017  
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थिति:—

1. सुश्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 05-09-2017 जिसके द्वारा अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन दिनांक 23-05-2003 को चक 2 आर. एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 57/41 के किला नम्बर 2 ता 8, 15, 16, 25 कुल 10 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1, 9 ता 14, 17 ता 24 कुल 15 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन आवंटन सहालकार समिति की राय से किया गया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष

राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

आवंटन आदेश व कब्जे बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते रहे है। अदालत मातहत द्वारा कोई कार्यवाही न करते हुए यकायक दिनांक 05-09-2017 को अपीलांट का आवंटन यह कहते हुए सुओमोटो रिव्यु करते हुए खारिज किया गया कि आराजी जैर पूर्व में बलराजसिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख को आवंटनशुदा होने के कारण अपीलांट को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जांच की जानी चाहिए थी कि क्या उक्त रकबा सामान्य/भूमिहीन के तहत निर्विवाद रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध था अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जांच किये बिना अपीलांट को भूमिहीन के तहत आवंटन किया गया। इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित हो चुकी है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थी को पात्रता के अनुसार डबल आवंटन के भूमि बदले भूमि आवंटन हेतु पत्रावली आवंटन सहालकार समिति के समक्ष पेश हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अदालत मातहत के समक्ष ही आवंटन हेतु चाराजोड़ करनी चाहिए थी। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अपील अधिकारी  
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से दिनांक 23-05-2003 को चक 2 आर. एस.एम. के मुर्ब्बा नम्बर 57/41 के किला नम्बर 2 ता 8, 15, 16, 25 कुल 10 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1, 9 ता 14, 17 ता 24 कुल 15 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन आवंटन किया गया।

(2) प्रकरण में अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन सलाहकार समिति की राय से बाद जाँच आराजी जैर सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में उपलब्ध होने के आधार पर आवंटित की गई। उक्त आराजी पूर्व में ही अन्य काश्तकार को आवंटित थी, इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। अपीलांट द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को इस आधार पर खारिज किया गया है कि मुताबिक रिकार्ड वादगत आराजी बलराजसिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख को आवंटनशुदा व दर्ज रिकार्ड है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आराजी को विशेष आवंटन गजट की होना बताया है जबकि अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन भूमिहीन के तौर पर किया गया था। जब आराजी जैर विशेष आवंटन हेतु आरक्षित थी तो उक्त आराजी का भूमिहीन के तौर पर आवंटन नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत को तत्समय ही संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट को अन्य भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था।

(4) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। अपीलांट की भूमिहीन/सामान्य श्रेणी की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर



(5) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि जो कि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित थी, का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(6) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार-बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। तत्पश्चात् आवंटन के करीब 14 वर्ष उपरान्त अपीलांट का आवंटन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आराजी जैर अन्य को आवंटनशुदा है व विशेष आवंटन हेतु आरक्षित है। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया जाता है। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(7) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को आवंटित आराजी जैर का आवंटन अन्य को किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर



(8) इसप्रकार विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों के अभिवचनों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रदर्शित होते हैं:-

(क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) आवंटनों हेतु आवेदनों की जाँच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रुटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रुटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपाने की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।

(ग) उक्त त्रुटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षों बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रुटि, बिना सूचना आवंटन खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार-बार आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशक्य स्वयं के हित में आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना-बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये हैं।

(घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

(ङ) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जाँच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रुटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जाँच कर कार्यवाही करें।



राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

(9) जब अदालत हाजा के समक्ष उक्त तथ्य प्रस्तुत हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का कृतव्य है कि अपीलांट के विरुद्ध हुई इसप्रकार की अनियमितता के संबंध में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया जाना व अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम रहते हुए अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटनशुदा भूमि/विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 05-029-2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 1-12-2017 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर